08/10/2021	प्रार्थिया फिरदौस पत्नी साबिर खान प्रार्थिया आशियाना पुत्री साबिर खान का वाद डिक्री किया जाकर भूमि हाल खसरा नं. 79 व 82/178/02 वाके ग्राम शिवदासपुरा तहसील सांगानेर जयपुर का 91 बीघा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि खातेदारी के अलावा में दखल नहीं करें शामिल प्रार्थी किया जाकर मुताबिक निर्णय आदेश डिक्री जारी की जावे। तथा तहसीलदार जयपुर को मुताबिक निर्णय एवं डिक्री अनुसार पालना हेतु तहरीर जारी की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	तहसीलदार को तहरीर जारी 3805 12.10.21

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:03:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : अरशदीप बरार, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 104/2007

1. रामपाल
2. श्रवण
3. गोपाल
4. भगवान
5. जसपात
6. कैलाश
7. बाबू
8. प्रभात

समस्त पुत्रान बिरदीचन्द

9. भौरीलाल पुत्र सूज्या
10. टेकचन्द मृतक

10/1/1 नाथूराम
10/1/2 रामेश्वर
10/1/3 मनोज
10/1/4 हीरालाल

समस्त पुत्रान स्व. श्री टेकचन्द

10/1/5 श्रीमति धापा देवी पत्नि स्व. श्री टेकचन्द

11. मंगला पुत्र सूज्या
12. लक्ष्मीनारायण पुत्र सूज्या
13. दूलीचन्द पुत्र नानू
14. कानाराम पुत्र नानू

समस्त जाति माली निवासीयान ग्राम बोयतावाला तहसील व जिला जयपुर।

......................वादी

बनाम

1. प्रभात पुत्र मंगला जाति जाट निवासी ग्राम बोयतावाला, पुरूषोत्तमपुरा तहसील व जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)

1/1 गोपाल मृतक

1/1/1 श्रीमती म्होरी बेवा गोपाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:03:09 IST
Reason: SelfAttested

1/1/2 रतन पुत्र स्व. श्री गोपाल

1/1/3 अर्जुन पुत्र स्व. श्री गोपाल

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बोयतावाला, पुरूषोत्तमपुरा तहसील व जिला जयपुर

1/1/4 श्रीमति प्रेम पत्नी नन्छू पुत्री प्रभात जाति जाट निवासी ग्राम चेताला तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/1/5 श्रीमति राजू पत्नी सांवरमल पुत्री प्रभात जाति जाट निवासी ग्राम सरदारपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/2 बदरी

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

1/3 सोहन
1/4 चन्दा
1/5 पांचू
1/6 घासी

समस्त पुत्रान प्रभात जाति जाट निवासी ग्राम बोयतावाला, तहसील व जिला जयपुर

1/7 प्रभाती पत्नी प्रभात जाति जाट निवासी ग्राम बोयतावाला, तहसील व जिला जयपुर

1/8 भूरी पुत्री प्रभात, पत्नी श्रवण निवासी आमली की ढाणी चौमू जिला जयपुर।

1/9 झूमा पुत्री प्रभात, पत्नी भगवान सहाय निवासी घरेड की ढाणी चौमू जिला जयपुर।

1/10 मन्नी पुत्री प्रभात, पत्नी रूपनारायण निवासी घरेड की ढाणी चौमू जिला जयपुर।

1/11 लाली पुत्री प्रभात, पत्नी शंकरलाल निवासी राजावास चेताला तहसील आमेर जिला जयपुर।

2. सरकार द्वारा तहसीलदार जयपुर।
3. प्राधिकृत अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः–08.11.2021

दिनांक 05/02/2002 की वाद रामपाल बनाम प्रभात पेश किया गया जिसका सार निम्न प्रकार है। ग्राम बोयतावाला तहसील जयपुंर में भूमि गत खसरा नम्बर 79 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा स्थित है, जो सूज्या व बिरधीचन्द की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी, जिसका अंकन भू अभिलेखो में दर्ज है। हालाकि सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा बिरधीचन्द का ही था जिसका अंकन गिरदावरी में भी दर्ज है। सम्वत् 2015 में उक्त क्षेत्र का बंदोबस्त होने पर गत खसरा नम्बर 79 का परिवर्तित खसरा नम्बर 79 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 82/178/2 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा बनाये गये। खसरा नम्बर 82/178/2 को गलत रूप से सिवाय चक दर्ज कर दिया गया, खसरा नम्बर 79 सूज्या व बिरधीचन्द जो वादीगण के पिता थे की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जबकि वादीगण का कब्जा सम्वत् 2012 से पूर्व से आज तक कब्जा चला आ रहा है। भू प्रबंध विभाग को वादीगण की भूमि के किसी भी भाग की भूमि को सिवायचक में दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है, भू प्रबंध विभाग ने हाल खसरा नम्बर 79 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा जो कि गत खसरा नम्बर 79 से ही बना था को गलत रूप से खसरा नम्बर 10/1[illegible] से बनना बताया है। गत व हाल मानचित्रों में हाल खसरा नम्बर 79 रकबा 6 बीघा 08 बिस्वा तथा खस[illegible] 82/1[illegible]8/2 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा गत खसरा नं0 79 से बना [illegible] स्पष्ट है। क्योंकि इन्डेक्स में हाल खसरा नम्बर 82/178/2 क[illegible] नम्बर 38 [illegible] नम्बर 82/178/1 रकबा 49 बीघा 12 बिस्वा का खाता नम्बर 37 है जो रिकार्ड तथा मानचित्र तथा मौके से भी स्पष्ट है। गत खसरा नम्बर 79 के हाल खसरा नम्बर 82/178/2 जो इन्डेक्स में तो सही है किन्तु मिलान क्षेत्रफल में खसरा नम्बर 82/178/2 को गत खसरा नम्बर 82 से बनना बता कर उसका रकबा 49 बीघा 12 बिस्वा दर्ज कर दिया गया तथा उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया। इस गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण ने इस भूमि पर से कब्जा न होने पर भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:03:09 IST
Reason: SelfAttested

(आर.ए.एस.)
कलक्टर

न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य रखते हुए प्रभात बनाम सरकार के नाम से दावा डिक्री करा लिया। जो कि वादीगण के अधिकारो के मुकाबले शून्य है तथा वादीगण के अधिकार इन्टेक्ट रहते है। मिलान क्षेत्रफल में खसरा नम्बर 82/178/1 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा का गत खसरा नम्बर 79 बताया है तथा खसरा नम्बर 82/178/2 का रकबा 49 बीघा 12 बिस्वा का गत खसरा नम्बर 82 बताया है जबकि सही 82/178/1 रकबा 49 बीघा 12 बिस्वा खाता संख्या 37 का गत खसरा नम्बर 82 है तथा खसरा नम्बर 82/178/2 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा का खाता नम्बर 38 गत खसरा नम्बर 79 होना चाहिये। उक्त गलती को वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है तथा उक्त भूमि को वादीगण अपने नाम लगवाने के अधिकारी है। उक्त गलती को दुरूस्त करवाने हेतु वादीगण ने 80 सीपीसी का 2 माह का नोटिस दिया तथा प्रतिवादीगण को भी माह नवम्बर 2001 में उक्त गलती को दुरूस्त कराने के लिए कहा तो उन्होने भी उक्त गलती को दुरूस्त कराने से मना कर दिया इस कारण से वादीगण को वाद अधिकार घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण ने न्यायालय को धोखा देकर गलत रूप अपने हक में डिक्री करवा ली तथा इस डिक्री के आधार पर प्रतिवादीगण भूमि को दीगर व्यक्तियों को खुर्द बुर्द करने की चेष्टा कर रहा है इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवादी को न्यायालय से नोटिस जारी किये गये तथा प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों को नकारते हुये जवाब दावा प्रस्तुत किया है तथा कुछ तथ्यों को जानकारी के अभाव मे तथा वादीगण द्वारा ही सिद्ध करने की बात कही है। किन्तु अपने अतिरिक्त कथन में प्रतिवादीगण ने यह बात कुबूल की है कि उनका कब्जा जागीर के जमाने से भूमि पर चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर 82 से ही उक्त खसरा नम्बर 82/178/2 को बनना बताया है जिसे गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया गया था जिसे प्रतिवादी ने दावा कर डिक्री अपने पक्ष में करवा ली तथा उस डिक्री की पालना में नामान्तकरण भी खुल गया तथा साथ ही यह भी कथन किया कि प्रतिवादीगण का कब्जा वादीगण की जानकारी में है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर भी प्रतिवादीगण भूमि के खातेदार हो जाते है।

प्रतिवादी द्वारा आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का एक आवेदन भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी ने रेस जुडिकेटा के आधार पर दावा खारिज करने हेतु निवेदन किया। न्यायालय ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रतिवादी का आवेदन आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी को दिनांक 05.04.2004 को इस आश्य से खारिज किया कि पूर्व के वाद में वादी को पक्षकार नही बनाया गया था अतः वादी को अपना पक्ष रख अपने अधिकारो को सुरक्षित करने का पुर्ण अधिकार है।

प्रतिवादी संख्या 1 जवाब दावा प्रस्तुत करने के बाद में न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, अतः दिनांक 25.01.2005 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गए। इसके बाद प्रतिवादी [illegible] वाद मृत्यु होने पर उसके कायममुकाम बनाये गये तथा न्यायालय के आदेशानुसार [illegible] की तलबी कराई गई जिस पर दिनांक 10.09.2007 को 1/1 [illegible] के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई तथा 1/1 की तामील हेतु वादीगण ने [illegible] रजिस्टर्ड नोटिस प्रस्तुत किये जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.2007 को 1/1 के विरूद्ध भी एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये। दावा व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:03:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के आवेदन पत्र आर्डर 14 रूल्स 5 सीपीसी पर बहस सुनकर न्यायालय द्वारा संशोधित तनकीयात का आदेश दिनांक 22.12.2009 को दिया तथा, संशोधित

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर

तनकीयात निम्न बनाई गई :-

तनकीयात

1. आया ग्राम बोयतावाला तहसील जयपुर में भूमि गत खसरा नम्बर 79 सूज्या व बिरधीचन्द के कब्जे काश्त की भूमि थी ?

जिम्मे वादी

2. आया सम्वत् 2015 में बंदोबस्त में खसरा नम्बर 79 के परिवर्तित खसरा नम्बर 79 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा 82/178/2 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा बनाये गये किन्तु खसरा नम्बर 82/178/2 को गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया गया ?

जिम्मे वादी

3. आया भूमि खसरा नम्बर 79 व 82/178/2 मौके पर एक ही चक है जिस पर वादीगण काबिज चले आ रहा है ?

जिम्मे वादी

4. आया हाल खसरा नम्बर 79 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा गत खसरा नम्बर 79 से ही बना है किन्तु भू प्रबंध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 79 को गत खसरा नम्बर 10/176 से गलत रूप से बनना बताया है ?

जिम्मे वादी

5. आया हाल खसरा नम्बर 82/178/2 इन्डेक्स में खाता संख्या 38 जबकि 82/178/1 रकबा 49 बीघा 12 बिस्वा का खाता संख्या 37 है जो कि मानचित्र से स्पष्ट है ?

जिम्मे वादी

6. आया भूमि खसरा नम्बर 82/178/2 का मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नम्बर 82 से बनना बता कर रकबा 49 बीघा 10 बिस्वा दर्ज कर दिया जो मानचित्र में होने से गलत होना प्रमाणित है ?

जिम्मे वादी

7. आया गत खसरा नम्बर 79 से बने हाल खसरा नम्बर 82/178/2 का मिलान क्षेत्रफल में खसरा नम्बर 82 से बनना बताया जाकर उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष बताकर दावा डिकी करा लिया जो वादी के अधिकारो के मुकाबले शून्ये है ?

जिम्मे वादी

8. आया भूमि खसरा नम्बर 82/178/1 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा को गत खसरा नम्बर 79 से बनना बताया तथा खसरा नम्बर 82/178/2 को गत खसरा नम्बर 82 से बनना बताया जो पूर्णतया गलत है। जिसे वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी है ?

जिम्मे वादी

9. आया वादी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? जिम्मे वादी

10. आया हाल खसरा नम्बर 82/178/2 गत खसरा नम्बर 82 का ही भाग है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज चल आ रहे है जिस पर न्यायालय द्वारा सही डिकी पारित की है जिसको इस न्यायालय को निरस्त करने का अधिकार नहीं है ?

जिम्मे प्रतिवादी

11. आया विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काफी समय से चला आ रहा है अतः प्रतिवादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार ... ?

जिम्मे प्रतिवादी

12. आया विवादग्रस्त भूमि सिवाय चक दर्ज ... रहा ? जिम्मे प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:03:09 IST
Reason: SelfAttested

13. दादरसी ?

तनकीयात बनने के बाद वादी ने अपने साक्ष्य में गवाहान श्रवण, छोटेलाल, पांचू, रामू, मैराम, कजोड के बयान कराये। प्रतिवादीगण की एक तरफा कार्यवाही हो जाने के कारण कोई बयान नहीं हुये केवल जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से तहसीलदार रणजीतसिंह के बयान दर्ज करवाये गये किन्तु उक्त ग्वाह जिरह हेतु उपस्थित नहीं हुये।

अर्शदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

वादीगण ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य में मूल जमाबंदी प्रदर्श पी 1 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2008–2011 एवं सम्वत् 2012–2015 प्रदर्श पी 2, नकल नक्शा ट्रेस पी 5, नकल नक्शा नोट प्रदर्श पी 6, नकल खतौनी सम्वत् 2015–2034 नकल जमाबंदी सम्वत् 2056–2059, नकल नामान्तकरण सं 84, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2015–2034, नकल इन्डेक्सस नम्बरस पी नकल खसरा मोजा, नोटिस 80 सीपीसी, रसीद पोस्ट ऑफिस रसीद प्राप्ति, तथा नकल निर्णय डिक्री प्रदर्श 11 एवं नकल फैसला प्राधिकृत अधिकारी जोन डी 2 दिनांक 18.01.2002 की नकले पेश की है। प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है।

दिनांक 02.09.2021 को वादी ने लिखित अंतिम बहस पेश की जिसमें उन्होनें वाद के बिन्दु दोहराते हुये स्पष्ट किया कि ग्राम बोयतावाला तहसील जयपुर में स्थित भूमि गत खसरा नं0 79 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा स्थित है उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के पितामह रामनारायण के कब्जे काश्त की भूमि थी जिसका इन्द्राज खसरा नं0 सम्वत 2008 से 2011 एवं 2012 से 2015 में विद्यमान है। रामनारायण के दो पुत्र सूज्या व प्रभु हुये तथा प्रभु की मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र बिरधा उर्फ बिरधीचंद हुये। बिरधा उर्फ बिरधीचंद व सूज्या का भी स्वर्गवास हो गया तथा वादीगण इनके उत्तराधिकारी है जिसका अंकन भू अभिलेखों में विद्यमान है हालांकि सम्पूर्ण भूमि को काश्त पूर्व से प्रभु व उसके बाद बिरधा उर्फ बिरधीचंद ही करता था। जिसका अंकन भी गिरदावरी से दर्ज है। वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त है।

सम्वत 2015 के बन्दोबस्त में साबिक खसरा नं0 79 के परिवर्तित खसरा नं0 79 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा व 82/178/2 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा बनाये गये किंतु गलती से खसरा नं0 82/178/2 को गलत रूप से सिवाय चक दर्ज कर दिया गया जबकि बन्दोबस्त विभाग को किसी की खातेदारी कम करने अथवा बढाने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि वादीगण का साबिक खसरा नं0 79 का भू प्रबंध विभाग चालू होने से पूर्व 15 बीघा 15 बिस्वा का था अतः भू प्रबंध के दौरान भी उसे इतनी ही भूमि दी जानी चाहिये थी। किंतु खसरा नं0 82/178/2 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा को गलत तरीके से सिवाय चक दर्ज कर दिया जबकि साबिक नक्शे व हाल नक्शे का मिलान किया जावे तो मौके पर एक ही चक है। जिस पर वादीगण काबिज चले आ रहे है। वादीगण का हाल खसरा नं0 79 को भी मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नं0 10/176 से बनना भी गलत बताया है। जबकि खसरा नं0 10/176 मानचित्र में भी नही है। उक्त भूमि हाल खसरा नं0 79 व 82/178/2 को इन्डेक्स रजिस्टर में साबिक खसरा नं0 79 से बनना बताया है जबकि गलती से मिलान क्षेत्रफल में उक्त खसरा नं0 को गत खसरा नं0 82 से बनना बता दिया जो कि गलत है। उक्त दोनों खसरा नम्बर के मानचित्र से भी स्पष्ट है कि दोनो साबिक व हाल नम्बरों में उक्त खसरा एक ही जगह एक ही चक के रूप में है। उक्त सभी तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण ने पूर्ण रूप से सिद्ध किये है। प्रतिवादीगण ने एक वाद पूर्व में न्यायालय के समक्ष हाल खसरा नं0 82/178/2 को मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नं0 82 से बनना बता कर पेश किया, जिसमें वादीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया था तथा न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर दावा डिक्री करवा लिया। जो कि वादीगण के अधिकारों के मुकाबले शून्य है तथा वादी[illegible] गलत डिक्री को भी निरस्त कराने के अधिकारी है। क्योकि इन्डेक्स रजिस्टर [illegible] 82/178/2 को साबिक खसरा नं0 79 से बनना बताया है तथा मौके पर साबिक [illegible] नं0 79 व 82/178/2 का एक ही चक है। उक्त गलत डिक्री के आधार पर प्रतिवादी[illegible] ने नामान्तकरण सं0 84 अपने नाम खुलवा लिया किंतु नामान्तकरण में कब्जा न होने का न[illegible]ट लगा हुआ है। उक्त इन्द्राज भी वादीगण के अधिकारों के मुकाबले शून्य है तथा वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है।बहस के साथ में दस्तावेज़ नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 10 व छायाप्रति निर्णय प्राधिकृत अधिकारी पेश किये गये।

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:03:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा पूर्ण पत्रावली, प्रस्तुत प्रर्दश व बहस का मनन कर तनकीवार निर्णय किया गया जो निम्नप्रकार है।

न्यायालय द्वारा जो तनकीयात बनाई गई उसमें तनकी सं 1 आया बोयतवाला तहसील जयपुर में भूमि गत खसरा नम्बर 79 सूज्या व बिरधीचन्द के काश्त की भूमि थी। उक्त तनकी को सिद्ध करने के लिए वादी ने जुबानी साक्ष्य में श्रवण छोटेलाल, पांचूराम, भैरूराम आदि के बयान दर्ज करवाये। उक्त सभी ग्वाहान ने विवादग्रस्त भूमि खसरा साबिक 79 पर वादीगण का कब्जा होना, मौके पर एक ही चक होना तथ पूर्व में सूज्या व बिरधीचन्द का कब्जा होना स्वीकार किया है। साथ ही दस्तावेज़ी साक्ष्य में नकल खतौनी स. 2015–2034 की नकल, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2005–2011, 2012–2015 की पेश की है उक्त सभी दस्तावेजात से भूमि की खातेदारी सूज्या व बिरधीचन्द पुत्र प्रभू के नाम से दर्ज है तथा उसके पूर्व की गिरदावरी में सूज्या, बिरधीचन्द कें पिता रामनारायण का नाम काश्त के में दर्ज है। उक्त तनकी को वादी ने निर्विवाद रूप से सिद्ध किया है। अतः तनकी नम्बर 1 का फैसला बहक वादी किया जाना न्यायोचित है।

तनकी सं 2 से 8 आपस में एक दूसरे से संबंधित है. इस कारण उक्त सभी तनकीयत का निर्णय एक साथ ही प्रस्तुत किये जा रहे है।

सम्वत् 2015 के बन्दोबस्त में साबिक खसरा नम्बर 79 के परिवर्तित खसरा नम्बर 79 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा व 82/178/2 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा बनाये गये किन्तु गलती से खसरा नम्बर 82/178/2 को गलत रूप से सिवाय चक दर्ज कर दिया गया जबकि बन्दोबस्त विभाग को किसी की खातेदारी कम करने अथवा बढाने का कोई अधिकार नहीं है। क्योकि वादीगण का साबिक खसरा नम्बर 79 का भू प्रबंध विभाग चालू होने से पूर्व रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा का था अतः भू प्रबंध के दौरान भी उसे इतनी ही भूमि दी जानी चाहिये थी। किन्तु खसरा नम्बर 82/178/2 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा को सहवन से सिवाय चक दर्ज कर दिया जबकि साबिक नक्शे व हाल नक्शे का मिलान किया जावे तो मौके पर यह विवादग्रस्त भूमि का एक ही चक है। वादीगण ने अपने कथन के समर्थन में आर आर टी 2008(1) पेज 151, 1983 आर आर डी पृष्ठ 64, 364, 1998 आर आर डी पृष्ठ 610, 275 एवं 290 के दृष्टांत प्रस्तुत की है। उक्त सभी दृष्टांतों का ध्यान पूर्वक मनन किया मान्य राजस्व मण्डल ने उक्त नजीरो में यह तय किया है कि भू प्रबंध विभाग को किसी भी व्यक्ति की खातेदारी को कम करने का अथवा बढाने का कोई अधिकार नही है। जब वादीगण का पूर्व रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा था तो नये नम्बर बनाने के बाद भी वादीगण को इतना ही रकबा दिया जाना चाहिये था किन्तु भू प्रबंध विभाग ने ऐसा न कर बिना कोई कारण दिए वादी का रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा कम कर दिया जो भू–प्रबंध विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर है। वादीगण का हाल खसरा नम्बर 79 को भी मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नम्बर 10/176 से बनना भी गलत बताया है। जबकि खसरा नम्बर 79 व 82/178/2 को इन्डेक्स रजिस्टर में तो साबिक खसरा नम्बर 79 (खाता संख्या 38) से बनना बताया है जबकि गलती से मिलान क्षेत्रफल में उक्त खसरा नम्बर को गत खसरा नम्बर 82 (खाता संख्या 37) से बनना बता कर [illegible] बीघा 10 बिस्वा दर्ज कर दिया जो कि गलत है। उक्त दोनो [illegible] से भी स्पष्ट है कि दोनो साबिक व हाल नम्बरो में उक्त खसरा एक ही [illegible] के रूप में है। उक्त सभी तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण ने सिद्ध किए हैं। प्रतिवादीगण ने एक वाद पूर्व में न्यायालय के समक्ष हाल खसरा नम्बर 82/178/2 को मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नम्बर 82 से बनना बता पेश किया जिस में वादीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया था तथा न्यायालय के समक्ष सही तथ्य छुपाकर वाद दावा डिकी करवा लिया। उक्त डिकी के आधार पर प्रतिवादीगण ने नामान्तकरण सं 84 अपने नाम खुलवा लिया किन्तु नामान्तकरण में प्रतिवादी का कब्जा न होने का नोट लगा हुआ है। चूंकि प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:03:09 IST
Reason: SelfAttested

अरश दीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर

ने वादीगण को अपने दावे में पक्षकार नहीं बनाया जबकि वादीगण उक्त भूमि में हितधारी व्यक्ति थे तथा पूर्व में जो निर्णय लिया उससे वादीगण के अधिकारो पर विपरित प्रभाव पडता है तो वादीगण अपने अधिकारो की घोषणा करवाने हेतु स्वतंत्र है। इन्डेक्स रजिस्टर में खसरा नम्बर 82/178/2 को साबिक खसरा नम्बर 79 (खाता संख्या 38) से ही बनना बताया है तथा मौके पर साबिक खसरा नम्बर 79 व 82/178/2 का एक ही चक है। नक्शा मनन कर पाया गया कि खसरा नम्बर 10/176 तहसील द्वारा जारी नक्शे की प्रति में ही नहीं है तो हाल खसरा नम्बर 79 खसरा नम्बर 10/176 से दूर प्रतीत होता है अतः इस कारण खसरा नं0 79 खसरा नं0 10/176 बनना प्रतीत नही होता है।खसरा नम्बर 82 कर नक्शा व 79 का नक्शा देखने से भी स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 79 के रकबे से खसरा नम्बर 82 का रकबा बिल्कुल अलग है तथा नक्शे से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 79 के रकबे को काट कर 82/178/2 का रकबा बनाया है। उक्त नक्शे व रिकार्ड को देखने से भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि भू प्रबंध विभाग ने नम्बर डालने में व वादीगण की भूमि को काट कर सिवायचक दर्ज करने में भूल की है, जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः वादीगण अपने अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी है। इस कारण उक्त सभी तनकीयात का निर्णय उपरोक्त कारण से वादीगण के हक मे किया जाना न्यायोचित है।

तनकी नम्बर 9 को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर है। आया वादीगण निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगण ने तनकी नम्बर 1 से 8 तक को अपने दस्तावेजी साक्ष्य व जुबानी साक्ष्य से सिद्ध किया है तथा यह भी पूर्ण रूप से साबित किया है कि साबिक खसरा नम्बर 79 के खातेदार काश्तकार व काबिज रामनारायण सूज्या व बिरधीचन्द थे जो कि वादीगण के पूर्वज थे तथा उन्ही का कब्जा भूमि पर था जिसको खसरा गिरदावरी की नकलो से भी सिद्ध किया है। प्रस्तुत दस्तावेज़ात मनन कर पाया गया कि प्रतिवादीगण ने अपने नाम का गलत इन्द्राज होने के कारण जविप्रा में 90 बी की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर वादीगण की आपत्ति करने पर प्राधिकृत अधिकारी जोन डी 2 द्वारा मौका निरीक्षण करवाया गया मौके पर फसल खडी होने के कारण तथा आपत्ति कब्जा वादीगण का होने के कारण दिनांक 18.01.2002 को प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत 90 बी खारिज किया गया। इस प्रकार उक्त सभी दस्तावेजात के आधार पर वादीगण का कब्जा भी प्रमाणित है। इन तथ्यो से वादीगण ने उक्त तनकी को सिद्ध किया है तथा वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

तनकी संख्या 10, 11 एवं 12 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था किन्तु इनके संबंध में प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये इस कारण उक्त तनकीयात का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में करना न्यायोचित नहीं है।

वादीगण ने अपने वाद में वर्णित कथनो को व वाद में वर्णित तनकीयात को अपनी साक्ष्य व दस्तावेजात से पूर्णतया साबित किया है। उक्त वर्णित साक्ष्य व प्राथमिक रूप में नक्शे बरारी से पूर्णतः साबित होता है कि हाल खसरा ... रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 82/178/2 रकबा ... जो खसरा नम्बर 79 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा से बने है व संवत् 2046 ... दौरान भू-प्रबंधक विभाग द्वारा त्रुटि पूर्वक खसरा नम्बर 82/178/2 को सि... चक दर्ज कर दिया। अतः न्यायहित में यह त्रुटि सही कर खसरा नम्बर 82/178/2 ग्राम बोयतावाला तहसील व जिला जयपुर खसरा नम्बर 9 बीघा 7 बिस्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायाउचित है। वादीगण का वाद डिकी किया जाकर भूमि हाल खसरा नम्बर 79 व 82/178/2 वाके ग्राम बोयतावाला तहसील व जिला जयपुर का वादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:03:09 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहात न करें। मुताबिक निर्णय डिक्री जारी हो। तहसीलदार जयपुर को निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय आज दिनांक 8/10/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्शदीप बराड़)
सहायक कलक्टर,
जयपुर शहर (प्रथम)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:03:09 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्रीमती अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)**

रामपाल व अन्य बनाम प्रभात व अन्य

1. रामपाल
2. श्रवण
3. गोपाल
4. भगवान
5. जसपात
6. कैलाश
7. बाबू
8. प्रभात

समस्त पुत्रान बिरदीचन्द

9. भौरीलाल पुत्र सूज्या
10. टेकचन्द मृतक

10/1/1 नाथूराम

10/1/2 रामेश्वर

10/1/3 मनोज

10/1/4 हीरालाल

समस्त पुत्रान स्व. श्री टेकचन्द

10/1/5 श्रीमति धापा देवी पत्नि स्व. श्री टेकचन्द

11. मंगला पुत्र सूज्या
12. लक्ष्मीनारायण पुत्र सूज्या
13. दूलीचन्द पुत्र नानू
14. कानाराम पुत्र नानू

समस्त जाति माली निवासीयान ग्राम बोयतावाला तहसील व जिला जयपुर।

......................वादीगण

बनाम

1. प्रभात पुत्र मंगला जाति जाट निवासी ग्राम बोयतावाला, पुरूषोत्तमपुरा तहसील व जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)

1/1 गोपाल मृतक

1/1/1 श्रीमती म्होरी बेवा गोपाल

1/1/2 रतन पुत्र स्व. श्री गोपाल

1/1/3 अर्जुन पुत्र स्व. श्री गोपाल

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बोयतावाला, पुरूषोत्तमपुरा तहसील व जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:03:09 IST
Reason: SelfAttested

1/1/4 श्रीमति प्रेम पत्नी नन्छू पुत्री प्रभात जाति जाट निवासी ग्राम चेताला तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/1/5 श्रीमति राजू पत्नी सांवरमल पुत्री प्रभात जाति जाट निवासी ग्राम सरदारपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/2 बदरी

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

1/3 सोहन
1/4 चन्दा
1/5 पांचू
1/6 घासी
समस्त पुत्रान प्रभात जाति जाट निवासी ग्राम बोयतावाला, तहसील व जिला जयपुर
1/7 प्रभाती पत्नी प्रभात जाति जाट निवासी ग्राम बोयतावाला, तहसील व जिला जयपुर
1/8 भूरी पुत्री प्रभात, पत्नी श्रवण निवासी आमली की ढाणी चौमू जिला जयपुर।
1/9 झूमा पुत्री प्रभात, पत्नी भगवान सहाय निवासी घरेड की ढाणी चौमू जिला जयपुर।
1/10 मन्नी पुत्री प्रभात, पत्नी रूपनारायण निवासी घरेड की ढाणी चौमू जिला जयपुर।
1/11 लाली पुत्री प्रभात, पत्नी शंकरलाल निवासी राजावास चेताला तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. सरकार द्वारा तहसीलदार जयपुर।
3. प्राधिकृत अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा 104/2007

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्रीमती अरशदीप बराड** व हाजिरी वकोल वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि हाल खसरा नम्बर 79 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 82/178/2 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा संवत् 2012 के खसरा नम्बर 79 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा से बने है व सम्बत् 2015 बन्दोबस्त दौरान भू–प्रबंधक विभाग द्वारा त्रुटि पूर्वक खसरा नम्बर 82/178/2 को सिवाय चक दर्ज कर दिया। अतः न्यायहित में यह त्रुटि सही कर खसरा नम्बर 82/178/2 ग्राम बोयतावाला तहसील व जिला जयपुंर खसरा नम्बर 9 बीघा 7 बिस्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। वादीगण का वाद डिकी किया जाकर भूमि हाल खसरा नम्बर 79 व 82/178/2 वाके ग्राम बोयतावाला तहसील व जिला जयपुर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहात न करें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नेज ......—...... मुबलिग ......—...... बाबत् ......—...... फीसदी सालाना आज की खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ......—...... का अदा करें। तारीख से तारीख अदायगी तक ......—...... की गई।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08/10/20..

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:03:09 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

दस्तखत ....
अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
ओहदा सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम